आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Revision Case No. 02 of 2024

Dist.:- Patna

PRESENT :- Sri Chaitanya Prasad, I.A.S., Chairman-Cum-Member.

Sri Sanjeev Kumar - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Appellant : - Sri Sanjeev Kumar, ASO
For the Respondent : - Under Secretary, GAD

आदेश

05.04.2024

यह सेवा पुनरीक्षण अपील वाद श्री संजीव कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 13704 दिनांक– 03.10.2019 द्वारा अधिरोपित दंड एवं राजस्व पर्षद न्यायालय द्वारा वाद संख्या– 29/2019 में दिनांक 01.12.2021 में पारित अपील आदेश एवं इस आदेश के उपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पुनः पारित दंडादेश ज्ञापांक– 16/विविध–07–02/2017 सा0प्र0– 20935 दिनांक 25.11.2022 द्वारा अधिरोपित दंड तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति के स्थान पर दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने के आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

श्री संजीव कुमार, तत्कालीन सहायक शिक्षा विभाग के विरूद्ध दिनांक– 18.10.2016 से लगातार बिना अनुमति एवं सूचना के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने तथा उक्त संबंध में विभिन्न पत्रों एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना प्रकाशित करने के बावजूद भी विभाग में योगदान समर्पित नहीं करने एवं कार्यालय को कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संजीव कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन पर श्री कुमार द्वारा प्रतिवेदित आरोप की स्वीकारोक्ति संबंधी अभ्यावेदन के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की कार्रवाई के संबंध की टिप्पणी तारीख 3

नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(vi) के तहत तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने एवं तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक की शास्ति अधिरोपित किए जाने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अधिरोपित दंड के विरूद्ध दायर अपील की सुनवाई गुण दोष के आधार पर करते हुए राजस्व पर्षद न्यायालय द्वारा दंड में संशोधन करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक–16/विविध–07–02/2017 सा0प्र0– 13704 दिनांक 03.10.2019 द्वारा अधिरोपित दंड तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति के स्थान पर दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने एवं शेष आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किए जाने का आदेश पारित किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकार के उक्त निर्णय पर विचार किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 5319 दिनांक 05.04.2022 द्वारा श्री कुमार से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 14.10.2022 को समर्पित करते हुए अपने व्यक्तिगत एवं परिवारिक समस्याओं यथा–माँ का स्वास्थ्य खराब होना एवं मृत्यु तथा स्वयं का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण कार्यालय को सूचित नहीं कर पाने एवं कार्यालय में योगदान नहीं दे पाने का उल्लेख किया गया।

माननीय अपीलीय प्राधिकार के निर्णय एवं श्री कुमार के अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा माननीय अपीलीय प्राधिकार के निर्णय दिनांक 01.12.2021 के अनुपालन का निर्णय लिया गया है।

तद्नुसार श्री संजीव कुमार, तत्कालीन सहायक, शिक्षा विभाग सम्प्रति भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध अधिरोपित दंडादेश सं0– 13704 दिनांक 03.10.2019 को संशोधित करते हुए दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने तथा तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक की शास्ति अधिरोपित किया गया।

अपीलार्थी द्वारा राजस्व पर्षद न्यायालय में अपने लिखित बचाव अभिकथन में उल्लेख किया गया है कि अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सामान्य प्रशासन के दंडादेश सं0– 13704 दिनांक 03.10.2019 का प्रभाव अंतिम रूप से दिनांक– 02.10.2022 को समाप्त होने तथा इस तिथि के बाद सभी कर्मियों के साथ

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

प्रोन्नति के बदले दिये जाने वाले उच्चतर कार्यकारी प्रभार से वंचित रखा गया। वर्णित स्थिति में अपीलार्थी द्वारा राजस्व पर्षद न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश जिसमें दंड का प्रभाव दिनांक 03.10.2019 से दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक की शास्ति अधिरोपित किये जाने का उल्लेख करते हुए दिनांक 02.10.2022 के उपरांत कार्यकारी प्रभार दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराये गये विभागीय मंतव्य में उल्लेख किया गया है कि– श्री संजीव कुमार द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–सह– अध्यक्ष, राजस्व पर्षद के आदेश दिनांक 01.12.2021 के विरूद्ध दो वर्षों के पश्चात् पुनरीक्षण आवेदन अपीलीय प्राधिकार के समक्ष समर्पित किया गया है। अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के पुनर्विलोकन के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0– 10322/2017 में पारित आदेश दिनांक 18.04.2018 में स्पष्ट किया गया है कि Quasi Judicial Authority को Review (पुनर्विलोकन) का अधिकार नहीं है, जिसे माननीय अपीलीय प्राधिकार–सह–अध्यक्ष, राजस्व पर्षद द्वारा सेवा अपील वाद सं0– 33/2017 के आदेश दिनांक– 03.01.2019 में स्वीकार किया गया है।

उक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पर विचार नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का परिशीलन किया। अभिलेख के अवलोकन, विभागीय मंतव्य तथा आरोपित कर्मी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के दंडादेश ज्ञापांक– 16/विविध–07–02/2017 सा0प्र0– 20935 दिनांक 25.11.2022 द्वारा अधिरोपित दंड तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति के स्थान पर दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने एवं शेष आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किए जाने का आदेश पारित किया गया।

अपीलार्थी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पुनः संशोधित दंडादेश ज्ञापांक– 16/विविध–07–02/2017 सा0प्र0– 13704 दिनांक 03.10.2019 के विरूद्ध कोई नई मांग नहीं की गयी है, अपितु पारित दंडादेश की कालावधि के अनुपालन हेतु अनुरोध

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

किया गया है, जिससे प्रशासी विभाग द्वारा दिये जाने वाले उच्चत्तर प्रभार के दायरे में अपेक्षित कार्यकारी प्रभार की सीमा में अपीलार्थी को शामिल किया जा सके।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सामान्य प्रशासन विभाग के दंडादेश ज्ञापांक– 16/विविध–07–02/2017 सा0प्र0– 13704 दिनांक 03.10.2019 द्वारा अधिरोपित दंड तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति के स्थान पर ज्ञापांक– 16/विविध–07–02/2017 सा0प्र0– 20935 दिनांक 25.11.2022 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने तथा तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक की शास्ति का आदेश पारित किया गया है।

विभागीय मंतव्य एवं संबंधित अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि There is no provision of such review by the same authority.

अतः पुनर्विचार आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

5/4/2024

(चैतन्य प्रसाद)
अध्यक्ष –सह– सदस्य
राजस्व पर्षद, बिहार।

5/4/2024

(चैतन्य प्रसाद)
अध्यक्ष –सह– सदस्य
राजस्व पर्षद, बिहार।

Scanned with CamScanner